दिनांकः 15.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में एक शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण (कुल्हाडी, दाव, लकडी का गुटका, रस्सी आदि) व 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धऱपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 14.04.2025 की शाम को थाना प्रभारी बेहट मय पुलिस टीम के साथ शाकुम्बरी रोड पर जसमौर स्टैण्ड व ग्राम भागूवाला के बीच संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रहे थे। तभी ग्राम भागूवाला की तरफ से 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये सदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया तो नही रूके ओर मोटरसाईकिल को चढ्ढा फार्म हाउस की तरफ मोडकर भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल गयी, पुलिस को करीब आता देख गिरफ्तारी से बचने के लिये बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी और जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान **बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** के रूप मे हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है व गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्त बिलाल मिर्जापुर का हिस्ट्रीशीटर/सक्रिय अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 02 जिंदा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण (कुल्हाडी, दाव, लकडी का गुटका, रस्सी आदि) व 01 मोटरसाईकिल (बिना नम्बर प्लेट) रंग काला बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल के विरुद्ध थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर में गौकशी/गैंगस्टर/ अवैध अस्लाह रखने आदि जैसे गंभीर अपराधों के करीब 15 मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त बिलाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आवारा घुमते पशुओं को पकड कर जंगल में सुनसान जगह देखकर गौकशी करके मांस को मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है। कल रात में भी हम लोग गोकशी की फिराक में गोकशी का सामान लेकर घूम रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस को देखकर हम लोग पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। जब हम लोग मोटरसाइकिल लेकर भागे तो हमारी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी तो मेरा साथी जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। पुलिस की गोली लगने से घायल हो जाने के कारण मैं भाग नहीं पाया तथा पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद तमन्चा 315 बोर
- 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस
- गोकशी करने के उपकरण
- 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

अभियुक्त बिलाल पुत्र मुन्ना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 10/2023 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 28/2016 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 31/2018 धारा- 147/148/323/332 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 115/15 धारा- 147/148/149/302/34/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 118/15 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 154/23 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 182/19 धारा- 51/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रारता अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 182/22 धारा- 380/411/457 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 183/22 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 185/21 धारा- 3/5/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 186/21 धारा- 465 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 187/22 धारा- 414 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0- 305/19 धारा- 414 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0- 311/17 धारा- 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0सं0- 317/17 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 15.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2025 को चैकिग / गस्त व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वारंटी **अभियुक्त दानिश पुत्र शफीक निवासी मौ0 जाल वाली मस्जिद के पास शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 116/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात में मौ0 जाल वाली मस्जिद के पास शेखपुरा कदीम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश पुत्र शफीक निवासी मौ0 जाल वाली मस्जिद शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 515 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2059 रजत कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः- 15.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा सीसीटीवी चोरी के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सीसीटीवी कैमरा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.24 को वादी मो0 आरिफ पुत्र मो0 हसन नि0 संगम विहार कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत राशिद पुत्र इरशाद नि0 सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर के बाहर से सीसीटीवी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 445/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 वांछित चोर/**अभियुक्त राशिद पुत्र इरशाद निवासी सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्राट विक्रम कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 सीसीटीवी बरामद। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब ये सीसीटीवी कैमरा मैने पिछले साल नवम्बर के महीने में संगम विहार आरिफ के घर से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राशिद पुत्र इरशाद निवासी सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

01 सीसीटीवी कैमरा (सीपीप्लस)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 445/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 237 योगेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2342 कपिल राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01अवैध देशी तमंचा .32 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस.32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2025 को वादी श्री अमित पुत्र जरा सिंह निवासी ग्राम महेद्दीनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत वादी नकुड़ रोड़ पर स्थित DBM AUTOMOTIVE PRIVATE LTD L.T.D. कंपनी (बिजली घर के पास) मे कार्य करता है। जहाँ पर उसकी कम्पनी के एक कर्मचारी समर उर्फ समरयाब से दिंनाक 11/04/2025 को कहासुनी हो गयी थी। उसी क्रम में मनमुनटाव के कारण कल दिनांक 14/04/2025 को वादी कम्पनी से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्तगण (1) समर उर्फ समरयाब पुत्र जाकिर (2) फैसल पुत्र जाकिर निवासीगण हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व कुछ व्यक्तियो द्वारा एक राय होकर वादी व उसके साथी सचिन व अरूण के साथ गाली गलौच कर, तमंचे से फायर करना व जान से मारने की धमकी दी थी। जिस सम्बन्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-124/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1)/61(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15/04/2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1. फैसल पुत्र जाकिर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर तथा 2. उमैर पुत्र जाबिर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम धलापड़ा मे कन्जरो वाले बाग के चौराहे से ग्राम ताताहेडी जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जें/निशादेही से 01नाजायाज अस्लाह बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ पर अभियुक्त फैसल ने बताया कि मेरा भाई समर उर्फ समरयाब जो DBM AUTOMOTIVE PRIVATE LTD L.T.D. कंपनी जो नकुड रोड कस्बा गंगोह बिजली घर के पास स्थित है मे वैल्डिग का काम करता है। उसकी वही लेबर का काम करने वाले अमित से काम को लेकर कहासुनी हो गयी थी। जिसके बाद दिनांक 14/04/25 को मेरे भाई ने मुझे फोन करके बताया था और अमित को सबक सिखाने के लिए कहा था। इसके बाद मैं अपने साथी उमैर पुत्र जाबिर जो मेरे गांव का ही है को साथ लेकर अपनी- अपनी मोटर साईकिलो से शाम के समय ग्राम बीराखेडी से ग्राम बन्दाहेडी जाने वाले रास्ते पर पहुँचा तो हमे अमित मोटर साईकिल से आता हुआ दिखाई दिया था जिसको हमने रोक लिया था। तो मैने अपने साथी उमैर के साथ मिलकर अमित के साथ गाली

गलोच तथा जान से मारने की नियत से मारपीट करनी शुरू कर दी थी। जिसके बाद अमित का भाई व एक और लडका भी वहां पर आ गये थे जिनसे हमारी मारपीट हुई थी। गुस्से मे आकर मैने अपने तमंचे से अमित पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था जिससे वह बच गया था।

बरामदगी विवरण

- 01 देशी तमंचा .32 बोर
- 01 खोखा कारतूस .32 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस UP 11 BQ 9424 (घटना मे प्रयुक्त)
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस UP 11 S 7861 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.फैसल पुत्र जाकिर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2.उमैर पुत्र जाबिर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री देवेन्द्र पाल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. एचजी 1613 सन्दीप थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. गोविन्द पुत्र आभेराम 2. आभेराम पुत्र नामालूम 3. धर्मेन्द्र पुत्र नामालूम 4. श्रीमति मिंटी पत्नि नामालूम 5. सुरेश पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 188/25 धारा 137(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गोविन्द पुत्र आभेराम निवासी ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को देवबंद बस स्टैन्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) व ¾ पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गोविन्द पुत्र आभेराम निवासी ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 1969 साजिद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2096 गौरव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 73 शिवानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पैट्रोलियम पाइप लाइन से तेल चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से तेल चोरी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं की रोकथाम व इन आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,सहारनपुर एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14/15.04.2025 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर गस्त/चैकिंग के दौरान ग्राम बुढेडा के जंगल में पैट्रोलियम पाईप लाईन से तेल चोरी का प्रयास कर रहे 01 शातिर अभियुक्त **1.संतोष पुत्र दलीप निवासी ग्राम कन्होली थाना मिड्डनपुर जिला मुज्जफरपुर बिहार को** मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य तीन साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गये। फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तेल चोरी करने के उपकरण जिसमें 01 फावडा , 01 प्लास्टिक की खाली केन, 01 बाल्व सिस्टम , 02 लोहे की रोड बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 127/2025 धारा 3(5), 62 बीएनएस, 15 पैट्रोलियम एवं मिनरल्स पाइपलाईन्स अधि0 1962, 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व 3,4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2) व317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं पहले आन्नद विहार दिल्ली में मजदूरी का कार्य करता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात जसवीर उर्फ जग्गू से हुई थी और मेरी उससे गहरी दोस्ती हो गई। जग्गू ने मुझे बताया कि मजदूरी करने से कोई लाभ नहीं हैं। उसने मुझे एक योजना बताई कि हम सहारनपुर में पैट्रोलियम की पाईपलाईन में छेद कर उसमें से तेल चोरी करने का कार्य करेंगे जिससे हम जल्दी अमीर हो जायेंगे। मुझे चलती पाईपलाईन में वाल्व लगाने का कार्य बहुत अच्छे से आता था। इसीलिये मैं उसकी बातो में आ गया। जसवीर अपने साथ दो और अन्य लोगो को अपने साथ तेल चोरी करने के लिये सहारनपुर लाया था। दिनांक 04.03.25 को जग्गू ओर मैने यह फैसला किया कि ग्राम अलीपुरा के जंगल में जो तेल की पाईप लाईन जा रही है उसके आस पास रात में कोई नहीं रहता है। वहाँ से हम आसानी से तेल चोरी कर सकते हैं। योजना के तहत मैने तथा जग्गू, पप्पू ,मोनू चारो ने मिलकर सहारनपुर से मिट्टी खुदाई व पाईप काटने के सामान ओर वाल तथा तेल की खाली केन खरीदी थी। दिनांक 05.04.2025 की रात्रि को हम सभी ने मिलकर ग्राम अलीपुरा के जंगल में जाने वाली तेल की पाईप लाईन में से तेल चोरी कर ले गये थे ओर उसी तेल को हमने अम्बाला रोड पर एक अन्जान ट्रक वाले को अपनी मजबूरी बताते हुए 20,000/- रुपये में बेच दिया था। हमने आपस में बराबर बरामब पैसे बाँट लिये थे। हम सभी ने पैसो को मौज मस्ती करने में व नशा करने में खर्च कर दिया था। दिनांक 14/15.04.25 की रात्रि को मैं तथा मेरे तीन अन्य साथी

जसबीर,पप्पू व मोनू ने मिलकर ग्राम बुढेढा के जंगल में से जा रही तेल की पाईपलाईन से तेल चोरी कर रहे थे की तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने मुझे पकड लिया व मेरे तीन अन्य साथी अंधेरे का घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गये। इससे पहले भी हम चारो ने मिलकर तीन बार इसी तेल की पाईप लाईन से तेल चोरी किया था। दिनांक 04.03.2025 को ग्राम अलीपुरा के जंगल में इण्डिन ओयल कोर्पोरेशन की पाईप लाईन में हुई तेल चोरी की घटना भी हम लोगो द्वारा ही की गई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संतोष पुत्र दलीप निवासी ग्राम कन्होली थाना मिड्डनपुर जिला मुज्जफरपुर बिहार

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 91/2025 धारा – 3(5), 61(2),287,303(2),324(5)बीएनएस, 15,16 पैट्रोलियम एवं मिनरल्स पाइपलाईन्स अधि0 1962, 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 , 3,4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तेल की कैन व 10 लीटर पैट्रोल।
- 01 बाल्व सिस्टम
- 012 टी शेप की लोहे की रोड
- 01 फावडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4.है0का0 361 मनोज थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5.का0 1497 मोनू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर